UPBL010026062026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बलिया।

उपस्थितः अनिल कुमार झा, एच.जे.एस.

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं0–1082/2026

कृष्णा यादव पुत्र लक्षुमण यादव, साकिन–गायघाट रूद्रपुर, थाना–हल्दी, जिला–बलिया।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

मु०अ०सं०–504/2024
धारा–319(2), 318(4), 338, 336(3),
340(2), 3(5), 61(2) बी.एन.एस.
थाना–कोतवाली, जिला–बलिया

दिनांक 13.07.2026

1– यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, प्रार्थी/अभियुक्त कृष्णा यादव की ओर से मुकदमा अपराध सं0–504/2024, अंतर्गत धारा–319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 3(5), 61(2) बी.एन.एस, थाना–कोतवाली, जनपद–बलिया में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र मा0 उच्च न्यायालय में न तो प्रस्तुत की गई है, न निरस्त हुई है और न ही लंबित है।

2– प्रार्थी/अभियुक्तके विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा केस डायरी का अवलोकन किया।

3– संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार प्रार्थिनी उमावती पत्नी विरेन्द्र यादव सा0–गायघाट, रूद्रपुर, परगना तहसील, जिला बलिया का निवासी है। आगे हम प्रार्थिनी अपने घर के बगल की जमीन का बैनामा कराने के लिए मु0 1,20,000.0 में हमारे ही गांव के कृष्णा यादव पुत्र० लक्ष्मण यादव द्वारा कराने के लिए तय की और उक्त रुपया हम प्रार्थिनी उक्त कृष्णा यादव को दे दी और कृष्णा यादव आज दिनांक 05/10/24 को रजिस्ट्री आफिस बलिया हम पार्थिनी को रजिस्ट्री कराने के लिए बुलाया और रजिस्ट्री आफिस के कैम्पस के दस्तावेज तैयार कराया जिसमें स्टाम्प 41,500.00 का स्टाम्प खरीदारी कराया जिसका रकबा 41/2 दि० बताया और हम प्रार्थिनी उक्त कृष्णा यादव के विश्वास में आकर हस्ताक्षर की उसके बाद सब–रजिस्ट्रार कार्यालय में पेश हुआ तो पता चला कि विक्रेता राम सुन्दर राय पु० दीनानाथ राय सा० पो० कपुर जि० सोनभद्र जिसका आधार फर्जी निकला और वह व्यक्ति जमीन का मालिक बनकर फर्जी तरीके से बैनामा कर रहा था जाँच के दौरान उक्त फर्जी व्यक्ति का सही आधार कार्ड मनोहर पु० बनारसी (बगरसी) आर्य नगर बैना जि0–बलिया के नाम से है। उक्त प्रकरण कृष्णा यादव और गवाह गौरी शंकर पुत्र सरजू सा० चितबडागांव जि० बलिया और भीम सिंह द्वारा हम प्रार्थिनी का पैसा लेकर फर्जी करा रहे थे। जब पूरा प्रकरण संज्ञान में आया तो प्रार्थिनी फर्जी बैनामा होने से रोक दी। डायल 112 नं0 डायल कर पुलिस को सूचना दी। मै गौरी शंकर और मनोहर को मौके से पकड़ कर लेकर थाने आई हूँ लिखित रुप से सूचना दे रही हूँ। कानूनी कारवाई करने की कृपा करें।

4– आवेदक/अभियुक्त को गलत एवं फर्जी फंसाया गया है, वे निर्दोष हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विलंब से अंकित कराई गई है विलंब का कोई समुचित स्पष्टीकरण नही दिया गया है। आवेदक/अभियुक्त के बताने के आधार पर ही रजिस्ट्री ऑफिस में फर्जीनामा का भंडाफोड़ हुआ । आवेदक/अभियुक्त के द्वारा न तो पैसा लिया गया है और न ही गवाही दिया गया है। आवेदक वादिनी के अलावा किसी को जानता पहचानता तक नही है।'' अतः प्रार्थी को अग्रिम जमानत पर अवमुक्त किया जाए।

5– राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने तर्क दिया है कि आवेदक द्वारा वादिनी को जमीन का बैनामा कराने के लिए वादिनी से 1,20,000/–रूपया ले लिया गया। तथा आवेदक द्वारा ही भू–स्वामी/विक्रेता राम सुन्दर राय के स्थान पर मनोहर राम को विक्रेता कहते हुए विक्रय विलेख (सेलडीड) तैयार किया गया तथा उक्त विक्रय विलेख (सेलडीड) को रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत किया गया जहां आधार कार्ड और फोटो में भिन्नता पाये जाने पर यह स्पष्ट हुआ कि यह विक्रेता रामसुन्दर राय नही है बल्कि मनोहर राम है उक्त मनोहर राम द्वारा ही विक्रय विलेख (सेलडीड) पर राम सुन्दर राय का हस्ताक्षर बनाया गया तथा जिसकी पहचान गवाह गौरीशंकर व भीमसेन सिंह द्वारा की गई थी। उक्त समस्त फर्जी कार्यवाही आवेदक कृष्णा यादव द्वारा कराई गई तथा

Digitally signed by ANIL KUMAR JHA
Date: 2026.07.13 19:11:32 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

पैसा भी गलत तरीके से 1,20,000/– रूपया वादिनी से ले लिया गया है । प्रार्थी/अभियुक्त का अपराध गंभीर प्रकृति का है। सह–अभियुक्तगण की जमानत निरस्त हो चुकी है । उक्त आधारों पर जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

6– पक्षों के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में केस डायरी का अवलोकन किया। प्राथमिकी में वर्णित तथ्यों एवं इस स्तर पर केस डायरी में अंकित साक्षी के बयान के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त अन्य सह–अभियुक्त के साथ मिलकर वादिनी मुकदमा से पैसा लेकर, जमीन रजिस्ट्री कराने के लिए फर्जी एवं कूटरचित विक्रय विलेख तैयार करने का अभियोजन कथानक है।

दौरान बहस अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा द्वारा बहस किया गया कि जमीन बैनामा कराने की रकम 12,00,000/– (बारह लाख रूपये) थी जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट मे, वादिनी मुकदमा के बयान में, गवाहान कलावती देवी व उमरावती के बयान में तथा विक्रय पत्र पर अंकित मूल्य 1,20,000/– रूपये है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक द्वारा वादिनी को जमीन का बैनामा कराने के लिए 1,20,000/–रूपया ले लिया गया तथा भू–स्वामी/विक्रेता राम सुन्दर राय के स्थान पर मनोहर राम को विक्रेता कहते हुए फर्जी व कूटरचित विक्रय विलेख (सेलडीड) तैयार किया गया । उक्त समस्त फर्जी कार्यवाही आवेदक कृष्णा यादव द्वारा ही कराई गई तथा पैसा भी गलत तरीके से 1,20,000/– रूपया वादिनी से ले लिया गया ।

वादिनी/गवाह उमावती देवी ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 180 बी.एन.एस.एस. में कथन किया है कि जमीन खरीदने के लिए कृष्णा यादव से बात हुई थी। कृष्णा ने उससे 1,20,000/– रूपये नगद ले लिया । दिनांक 05.10.2024 को वादिनी को बुलाकर रजिस्ट्री आफिस ले आया वहा पर मनोहर राम पुत्र बनारसी राम नाम के व्यक्ति को रामसुंदर राय बनाकर कूटरचित और फर्जी रजिस्ट्री पेपर तैयार करके फर्जी तरीके से बैनामा कर रहा था।

प्रार्थी/अभियुक्तपर आरोपित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः इस स्तर पर प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त नहीं है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त कृष्णा यादव का उपरोक्त अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांकः 13.07.2026

Steno–R.S.Sen

(अनिल कुमार झा)
सत्र न्यायाधीश
बलिया।
ID No. UP 06529